संख्या: 3-दो(1)/XXXVI(1)/2006

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 27 जून, 2006

विषय: तेखला, उत्तरकाशी में न्याय विभाग के आवासीय परिसर में कंटीली तार लगाने हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 895/UHC/Admn.B/Const./2005, दिनांक 5 अप्रैल, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेखला, उत्तरकाशी में न्याय विभाग के आवासीय परिसर में कंटीली तार लगाने हेतु रु० 1,14,000/- आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 1,06,000/- (रुपये एक लाख छः हजार मात्र) की लागत के आगणन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 1,06,000/- (रुपये एक लाख छः हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(6) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(7) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(8) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

(9) किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय ।

(10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे ।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-25-लघु निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-356/XXVI(5)/2006, दिनांक 17 जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

संख्या-3-दो(1)/XXXVI(1)/2006-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, मालरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी, उत्तरकाशी ।
6. नियोजन विभाग,/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव ।